अध्याय 6: अन्य कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियां

6.1.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2012-13 में आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क), विद्युत (बिजली पर कर एवं शुल्क), खदान एवं भू-विज्ञान, उद्योग तथा भू-राजस्व विभाग में अभिलेखों की नमूना-जांच ने 333 मामलों में ₹ 1.04 करोड़ की राशि के कर के अवनिर्धारण तथा राजस्व की हानि प्रकट की जो **तालिका 6.1** की श्रेणियों में उल्लिखित है।

तालिका 6.1

(₹ **करोड़ में**)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
क: आबकारी एवं कराधान विभाग (मनोरंजन शुल्क)			
1.	मनोरंजन शुल्क की अवसूली	1	0.02
ख: विद्युत विभाग (बिजली पर कर एवं शुल्क)			
1.	विविध अनियमितताएं	56	0.04
ग: खदान एवं भू-विज्ञान तथा उद्योग			
1.	संविदा धन के विलम्बित निक्षेप पर ब्याज की अवसूली	61	0.68
2.	रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली	95	0.23
घ: भू-राजस्व			
1.	भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों की वसूली	01	शून्य
2.	विविध अनियमितताएं	119	0.07
	कुल योग	**333**	**1.04**

वर्ष 2012-13 के दौरान, विभाग ने 171 मामलों में आवेष्टित ₹ 65.08 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिनमें से 168 मामलों में आवेष्टित ₹ 21.95 लाख 2012-13 के दौरान और शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 2012-13 के दौरान 32 मामलों में ₹ 47.79 लाख वसूल किए जिनमें से 29 मामलों में आवेष्टित ₹ 4.48 लाख वर्ष 2012-13 और शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

कुछ व्याख्यात्मक मामले निम्नलिखित अनुच्छेद में उल्लिखित हैं।

आडिट फाइंडिंग

6.2 भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों की वसूली

6.2.1 प्रस्तावना

सरकार के विभाग प्राथमिक रूप से उनसे संबंधित देयों की वसूली के लिए उत्तरदायी हैं। यदि सभी संभव उपायों के बाद भी विभागों द्वारा सरकारी देयों की वसूली नहीं की जा सकती हो तो ऐसे देयों को हरियाणा राज्य में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (पी.एल.आर. एक्ट) के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाना चाहिए। पी.एल.आर. एक्ट की धारा 62 के अनुसार भू-राजस्व का बकाया किरायों, लाभों तथा भूमि के उत्पाद पर प्रथम प्रभार है। पी.एल.आर. एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत भू-राजस्व का बकाया एक या अधिक प्रक्रियाओं अर्थात्; (i) चूककर्ता पर मांग की रिट दायर करके; (ii) व्यक्ति को गिरफ्तार तथा कैद करके; (iii) उसकी चल संपत्ति तथा खड़ी फसलों की कुर्की बिक्री; संपत्ति, जिसके संबंध में बकाया देय है, के हस्तांतरण; संपदा या संपत्ति, जिसके संबंध में बकाया देय है, की कुर्की; संपदा या संपत्ति के निर्धारण के निराकरण; उस संपदा या संपत्ति की बिक्री द्वारा तथा चूककर्ता की अन्य अचल संपत्ति के विरूद्ध कार्यवाहियों के माध्यम से वसूल किया जा सकता है।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 (आर.आर.एक्ट) के अंतर्गत जहां जिले से अन्य जिले, जिसमें बकाया प्रोदभूत हुआ, में संपत्ति वाले चूककर्ता से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय राशि है, संबंधित कलैक्टर उस जिले के कलैक्टर को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) भेज सकता है जहां चूककर्ता की संपत्ति स्थित है, राशि वसूल करने के लिए क्योंकि यदि यह उसके अपने जिले में प्रोद्भूत भू-राजस्व का बकाया थी। अन्य जिले का कलैक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पर कथित राशि वसूल करने के लिए कार्यवाही करेगा।

6.2.2 बकायों की स्थिति

सात जिलों के राजस्व विभाग के पास उपलब्ध विवरणों के अनुसार भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय ₹ 102.36 करोड़ की राशि से आवेष्टित 2,044 मामले 30 सितंबर 2012 को लंबित थे। 2011-12 को समाप्त गत पांच वर्षों (1 अक्तूबर 2007 से 30 सितंबर 2012 तक) के दौरान वसूलनीय मांग, वसूली के बिना लौटाए गए मामलों, की गई वसूली तथा शेष की वर्षवार स्थिति **तालिका 6.2** में दी गई है।

तालिका 6.2

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आरंभ शेष	नई मांग	कुल मांग	वसूली के बिना लौटाए गए मामले	वसूली गई राशि	शेष	वसूली की प्रतिशतता (5 से 3)	लौटाए गए मामलों की प्रतिशतता (4 से 3)
	राशि/ मामले	राशि/ मामले	राशि/ मामले	राशि/ मामले	राशि/ मामले	राशि/ मामले		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007-08	47.64 (1,921)	103.37 (1,582)	151.01 (3,503)	100.01 (1,050)	4.85 (536)	46.15 (1,917)	3.21	66.23
2008-09	46.15 (1,917)	152.30 (1,600)	198.45 (3,517)	121.08 (894)	6.52 (550)	70.85 (2,073)	3.28	61.00
2009-10	70.85 (2,073)	63.29 (1,386)	134.14 (3,459)	71.78 (831)	10.69 (636)	51.67 (1,992)	7.97	53.51
2010-11	51.67 (1,992)	142.43 (1,487)	194.10 (3479)	129.80 (979)	10.11 (695)	54.19 (1,805)	5.21	66.87
2011-12	54.19 (1,805)	163.65 (1,651)	217.84 (3,456)	104.18 (821)	11.30 (591)	102.36 (2,044)	5.19	47.82

(मामलों की संख्या कोष्ठकों में दर्शाई गई है)

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मांग की वसूली की प्रतिशतता पांच वर्षों के दौरान 3.21 तथा 7.97 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित पूर्णतया कम थी। चूककर्ताओं के पते के विवरणों/अन्य विवरणों के अभाव में वसूली के बिना मांगकर्ता अधिकारियों को कलैक्टरों द्वारा लौटाए गए मामलों की प्रतिशतता 47.82 तथा 66.87 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित रही। राजस्व विभाग ने लंबित मामलों के भारी संचयन करने वाले प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र मामलों के निपटान हेतु कोई मानक नियत नहीं किए।

6.2.3 राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों (आर.आर.सी.) का अपरिकलन/विलंबित परिकलन

जिला राजस्व अधिकारी (डी.आर.ओ.) गुड़गांव तथा फरीदाबाद के कार्यालय के रनिंग रजिस्टर-II के अभिलेखों की नमूना-जांच ने दर्शाया कि डी.आर.ओ. गुड़गांव तथा फरीदाबाद ने पांच वर्षों के दौरान तहसीलदार, गुड़गांव तथा फरीदाबाद को ₹ 90.11 करोड़ की राशि के 384 मामले हस्तांतरित किए किंतु संबंधित तहसीलदारों ने अपने आर.आर.-II रजिस्टरों में इन आर.आर.सी. को दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 90.11 करोड़ की वसूली नहीं हुई। तहसीलदार, गुड़गांव, फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ के मई 2013 में आर.आर.-II की नमूना-जांच ने दर्शाया कि ₹ 9.53 करोड़ की राशि के 67 मामले 8 से 88 माह के मध्य श्रृंखलित विलंब के साथ तहसीलों के आर.आर.-II रजिस्टरों में दर्ज किए गए थे।

तहसीलदार, फरीदाबाद तथा गुड़गांव ने उत्तर दिया कि सभी मामले आर.आर.-II में दर्ज कर लिए गए थे तथा संबंधित कलेक्टरों ने भी तथ्यों की पुष्टि कर दी किंतु भू-राजस्व के बकायों की वसूली हेतु आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी। यह दर्शाता है कि विभाग भू-राजस्व के बकायों की वसूली करने की कार्रवाई आरंभ करने में विफल रहा। हमें वसूली की अगली प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी (जून 2013)।

6.2.4 नॉन-फोलो अप/विलंबित कार्रवाई

1 अक्तूबर 2007 से 30 सितंबर 2012 तक की अवधियों के लिए आर.आर.सी. के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 8 से 43 माह के मध्य श्रृंखलित अवधियों की समाप्ति के बाद भी तहसीलदारों द्वारा मडलौडा (पानीपत जिला), फरीदाबाद तहसीलों में ₹ 54.28 लाख **(अनुलग्नक VI)** की राशि वाले 35 मामलों में पहला नोटिस तक जारी नहीं किए गए थे तथा सात तहसीलों[1] में यद्यपि नोटिस जारी किए गए थे किंतु ₹ 9.52 करोड़ **(अनुलग्नक VII)** की राशि के 87 मामलों में चार से 249 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि की समाप्ति के बाद भी भेजे नहीं गए थे तथा तीन तहसीलों में ₹ 1.80 करोड़ **(अनुलग्नक VIII)** की राशि के 51 मामलों में यद्यपि चूककर्ताओं को नोटिस भेजे गए थे किंतु पी.एल.आर. एक्ट की धारा 67 के अनुसार आगे कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

6.2.5 अन्य कलैक्टरों को भेजी गई आर.आर.सी. के अनुसरण की विफलता

अभिलेखों के अनुसार ₹ 69.25 करोड़ की राशि से आवेष्टित 1,345 मामलों में वसूलियां जिला/राज्य से बाहर संपत्तियों वाले चूककर्ताओं के विरूद्ध 30 सितंबर 2012 को लंबित थी। ऐसे मामलों में प्रभावी वसूली के लिए राजस्व वसूली अधिनियम के अंतर्गत आर.आर.सी. संबंधित जिला/राज्यों, जहां चूककर्ताओं की संपत्तियां थी, के जिला कलैक्टरों को भेजे गए थे।

---

1 गुड़गांव, फारूखनगर (गुड़गांव), पटौदी (गुड़गांव), समालखा (पानीपत), मडलौडा (पानीपत), फरीदाबाद तथा रेवाड़ी।

6.2.6 आंतरिक लेखापरीक्षा न करना

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन के हाथों में स्वयं को आश्वस्त करने का साधन है कि निर्धारित प्रणालियां ठीक ढंग से कार्य कर रही हैं। अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार तथा सात जिलों अर्थात् अंबाला, पानीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, जींद तथा हिसार के कलैक्टरों एवं तहसीलदारों के कार्यालय के अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि ''भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों'' की पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा एफ.सी.आर. के कार्यालय द्वारा संचालित नहीं की जा रही थी। राजस्व संग्रहीत मुख्य शीर्ष 0029-भू-राजस्व की लेखापरीक्षा संचालित करते समय केवल आर.आर.-II पर टिप्पणियां प्रस्तुत की जा रही थी।

6.2.7 अपर्याप्त मानीटरिंग

- अपर मुख्य सचिव के कार्यालय के अभिलेखों की जांच ने प्रकट किया कि भू-राजस्व के बकायों से संबंधित निर्धारित मासिक रिटर्नें राज्य में कलैक्टरों के कार्यालयों से समय पर प्राप्त की जा रही थी किंतु मानीटरिंग हेतु स्थिति का निर्धारण करने के लिए आरंभिक शेष, नई मांग, कुल मांगों, वसूली के बिना लौटाए गए मामलों, की गई वसूली तथा अंत शेष की वर्षवार तथा जिलावार स्थिति उस कार्यालय द्वारा तैयार नहीं की गई थी।
- तहसीलदारों (हिसार को छोड़कर) के साथ डी.सीज द्वारा वसूली की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कोई नियमित मासिक बैठकें 1 अक्तूबर 2007 से 30 सितंबर 2012 तक की अवधि के दौरान आयोजित नहीं की गई थी। कलैक्टर, अंबाला ने बताया कि बैठक की कोई निर्धारित आवधिकता नहीं है। कलैक्टर, रेवाड़ी ने बताया कि नियमित मासिक बैठकों के लिए प्रयास किए जाएंगे तथा बकाया राशि की समीक्षा भी की जाएगी।
- यह स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर आंतरिक जांच एवं मानीटरिंग पर्याप्त नहीं थी।

ये बिंदु सरकार के ध्यान में लाए गए थे (अगस्त 2013), एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान सरकार ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (नवंबर 2013) तथा बताया कि भू-राजस्व के बकाया, बकायों की तीव्र वसूली के लिए एस.आरज के साथ मासिक बैठकें आयोजित करने के निष्कपट प्रयास करने के लिए संबंधित कलैक्टरों को अनुदेश जारी किए जाएंगे तथा यह आश्वासन भी दिया कि भविष्य में विस्तृत आंतरिक लेखापरीक्षा की जाएगी।

खदान एवं भू-विज्ञान विभाग

6.3 रायल्टी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली

पंजाब लघु खनिज रिआयत (हरियाणा संशोधन) नियम, 2005 का नियम 24 प्रावधान करता है कि ईंट भट्ठा मालिक (बी.के.ओज) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम में निर्धारित दर पर रायल्टी की वार्षिक राशि का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने जून 2005 से बी.के.ओज की विभिन्न श्रेणियों की नियत रायल्टी की दरें संशोधित की। चूक के मामले में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर चूक की अवधि हेतु ब्याज प्रभार्य है। रायल्टी के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिये प्रत्येक खनन कार्यालय में बी.के.ओज रजिस्टर का रख रखाव किया जाता है। ऐसे बी.के.ओज, जो रायल्टी का भुगतान नहीं करते, के परमिट एक माह का नोटिस देकर विभाग द्वारा निरस्त किये जाने अपेक्षित हैं और परमिट धारकों से रायल्टी और इस पर ब्याज के कारण कोई राशि देय है, वह भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलनीय है।

सहायक खनन अभियंता (ए.एम.ईज.)/खनन अधिकारी (एम.ओज) बकाया देयों की वसूली मानीटरिंग के लिए उत्तरदायी हैं।

एम.ओज/ए.एम.ईज के सात कार्यालयों[2] के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान हमने देखा कि 69 बी.के.ओज, जिन्हें दो वर्षों की अवधि के लिए अप्रैल 2008 तथा अप्रैल 2010 के मध्य परमिट जारी किये गये थे, ने रायल्टी की देय राशि का भुगतान नहीं किया। बी.के.ओज को संबंधित वर्ष के लिए 30 अप्रैल तक रायल्टी का भुगतान करना अपेक्षित था। यद्यपि मार्च 2013 तक 12 से 36 माह के मध्य श्रृंखलित अवधि समाप्त हो चुकी थी, अभी तक ₹ 10.14 लाख की रायल्टी का न तो बी.के.ओज द्वारा भुगतान किया गया था और न ही ए.एम.ईज/एम.ओज द्वारा इसकी मांग की गई थी। परमिटों को कैंसिल करने तथा/या भू-राजस्व के बकायों के रूप में देयों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। विभाग की ओर से कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 14.88 लाख (₹ 4.74 लाख की राशि के ब्याज[3] सहित) के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

हमने जुलाई 2013 में मामला सरकार को प्रतिवेदित किया। सरकार ने एग्जिट कांफ्रैंस (अक्तूबर 2013) के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया तथा बताया कि अक्तूबर 2010 तथा सितंबर 2013 के मध्य 57 मामलों में ₹ 11.96 लाख (₹ 3.62 लाख के ब्याज सहित) की राशि वसूल कर ली गई थी तथा 12 मामलों में ₹ 2.92 लाख (₹ 1.12 लाख के ब्याज सहित) की बकाया राशि वसूल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

चण्डीगढ़ **(ओंकार नाथ)**
दिनांक: **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(शशि कान्त शर्मा)**
दिनांक: **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**

2 एम.ओज: भिवानी, जींद, नारनौल, रेवाड़ी तथा पानीपत; ए.एम.ईज: फरीदाबाद तथा पंचकुला।

3 मार्च 2013 तक परिकलित ब्याज।